सार समाचार

युवती ने खाया जहर, परिजनों ने बताया जानवर ने काटा

उदयपुर. नगर संवाददाता | राजसमंद जिले के रेलमगरा थाना क्षेत्र में चराणा निवासी पूनम देवी (23) पत्नी गोपाल जाट अपने ससुराल चित्तौड़गढ़ से पीहर आई हुई थी। मंगलवार को शाम चार-पांच बजे इसने विषाक्त वस्तु खा लिया और पति को फोन किया कि उसको चक्कर आ रहे और जी घबरा रहा है। इस पर पति व परिवारजन अचेतावस्था में एमबी चिकित्सालय लाए, जहां उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। मृतका के परिजनों ने एएसआई शांतिलाल को दी रिपोर्ट में बताया कि किसी जहरीले जानवर के काटने से उसकी मृत्यु हुई है। जबकि मृतका के शरीर पर किसी तरह के जहरीले जानवर के काटने का कोई निशान नहीं था। फिलहाल पुलिस ने पोस्टमार्टम करा शव परिजनों को सौंप दिया।

कमरे का ताला तोड़ सामान चोरी, सिजारी पर शंका

उदयपुर. नगर संवाददाता | जिले के गोगुन्दा थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने अज्ञात चोर के खिलाफ खेत पर बने मकान का ताला तोड़कर सामान चोरी करने का मामला दर्ज करवाया है। पीड़ित ने अपने ही यहां पर काम करने वाले सिजारी पर शंका जताई है। पुलिस के अनुसार प्रकाश पुत्र बंशी लाल पालीवाल निवासी चाटीयाखेडी गोगुन्दा ने मामला दर्ज करवाया कि 2 मई को रात्रि में उसके खेत पर बने मकान से अज्ञात चोरो ने ताला तोडकर 10 बोरी सोयाबीन, 2 बोरी सरसो, अन्य कृषि सामान उसके खेत पर पड़े हुए थे व पानी की मोटर का स्टाटर केबल तोडकर लेकर चले गए। वह सुबह खेत पर गया तो देखा की मकान के ताले टूटे हुए हैं। अन्दर देखने पर पता चला की यह सामान रात्रि को अज्ञात चोर चोरी कर ले गए हैं। उसके खेत पर उसके खेत पर सिजारी चम्पा लाल पुत्र हाकला गमेती निवासी चाम्बुआ रहता था ,जो चोरी के दिन खेत पर नही था व उसका फोन भी बंद आ रहा है। उसने शंका जताई कि खेत से चोरी सिजारी चम्पालाल व उसके अन्य साथियों ने की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

किराएदार सहित अन्य लोगों ने फर्जी पॉवर अटार्नी बनाकर मकान बेचा

उदयपुर. नगर संवाददाता | शहर के सुखेर थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने अपने किराएदार सहित एक महिला सहित अन्य के खिलाफ उसके मकान की फर्जी पॉवर अटार्नी बनाकर बेचने का मामला दर्ज करवाया है। पुलिस के अनुसार दौलत सिंह पुत्र माधोसिंह निवासी रूपजी का गुड़ा नाथद्वारा ने खुमाण उर्फ खुमाणसिंह पुत्र जयसिंह निवासी वाडा उपली ओडन के नाथद्वारा, सुषमा कुमावत पत्नी विनोद कुमावत निवासी पंचवटी आलोक स्कूल के पास, मनोहरसिंह पुत्र गुलाबसिंह निवासी चित्रकूट नगर, शंभूसिंह पुत्र प्रेमसिंह निवासी चित्रकूट नगर, हेमसिंह, खेमराज के खिलाफ मामला दर्ज करवाया कि उसका एक आवासीय मकान भुवाणा में है। इस मकान उसके परिचित आरोपी खुमाण उर्फ खुमाणसिंह को रहने के लिए मकन दिया था और वह मकान में ही रह रहा था। एक दिन उसे नगर विकास प्रन्यास से नोटिस मिला कि उसने अपना मकान सुषमा कुमावत को बेच दिया है उसने लीज डीड व नामान्तरण कराने के लिए आवेदन किया है। उसने पता किया तो सामने आया कि उसका यह मकान सभी आरोपियों ने फर्जी पावर ऑफ एटोर्नी तैयार कर उसके मकान को 24 अप्रैल 2013 को सुषमा कुमावत को बेच दिया, जबकि उसने कभी पावर ऑफ एटोर्नी नहीं की और इस फर्जी पावर ऑफ एटोर्नी पर उसके फर्जी हस्ताक्षर किए है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

प्रोपर्टी हड़पने के लिए युवक से मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज

उदयपुर. नगर संवाददाता | शहर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने दो युवकों के खिलाफ उसकी की सम्पति हड़पने के लिए उसके साथ मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज करवाया है। पुलिस के अनुसार अम्बालाल पुत्र वरदा वागरिया निवासी कानपुर ने मामला दर्ज करवाया कि 17 मई को जीवा पुत्र उदा निवासी एकलिंगपुरा व परथा पुत्र उकार वागरिया निवासी कानपुर उसके मकान पर आए और उसको रोक कर गाली गलोच कर मारपीट की। इस दौरान उसने मौके से भागकर अपनी जान बचाई परन्तु फिर भी दोनो आरोपी उसके घर पर आए और घर में घुसकर मकान, जमीन व उसकी प्रोपर्टी अपने नाम करने की धमकियां देते हुए उसके साथ मारपीट की और धमकाया कि अगर वह ये मकान जमीन जायदाद उनके नाम पर नही करेगा तो वे उसे व उसके परिवार को जान से मार देंगे। जीवा वागरिया गांव के ही रहने वाले परथा वागरिया के घर में छिपकर उसकी रैकी करता हैं और उसे घर से निकलते ही डराता-धमकाता हैं और जबरन मारपीट करता है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

निजी जमीन पर काम करने से मना करने पर मेट से मारपीट

उदयपुर. नगर संवाददाता | जिले के ऋषभदेव थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने एक के खिलाफ नरेगा का काम निजी जमीन पर करने से मना करने पर मारपीट करने का मामला दर्ज करवाया है। पुलिस के अनुसार हीरालाल पुत्र वालाजी निवासी आथमणा कोटड़ा ऋषभदेव ने मामला दर्ज करवाया कि वह 3 जून को मस्टरोल लेकर नरेगा का काम करने के लिए सुबह करीब 7.30 बजे कांकरा वला दर्रा आथमणा कोटड़ा चारागाह जमीन पर लेबर लेकर गया। इसी दौरान वहाँ पर पहले से मौजूद प्रकाशचन्द्र पुत्र गौतम मीणा निवासी आथमणा कोटड़ा ने उससे कहा कि वह नरेगा का काम में उसकी खातेदारी जमीन पर पत्थर की चुनाई का काम करना होगा। उसने मना कर दिया और कहा कि वह चारागाह जमीन पर काम करवाएगा खातेदारी जमीन पर नहीं। तो प्रकाश चन्द्र उसे मारने पर लगा, वह भागने लगा तो पीछा कर रोककर मारपीट की। इस दोरान लेबर ने बीच-बचाव करके उसे बचाया। आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी। पूर्व में भी इसकी खातेदारी जमीन पर श्रमिकों से जोर जबरदस्ती से पत्थर की पाल बनवाई थी।

बदमाशों ने स्कूटी सवार युवतियों से पर्स छीना

उदयपुर. नगर संवाददाता | शहर के सूरजपोल थाना क्षेत्र में एक स्कूटी सवार युवती ने बाईक सवार तीन युवकों के खिलाफ उसके हाथ से पर्स छीनकर ले जाने का मामला दर्ज करवाया है। पुलिस के अनुसार रितु पुत्री गोपाल प्रसाद शर्मा निवासी श्रीनगर कॉलोनी गायरियावास ने मामला दर्ज करवाया कि 2 जून को रात 10.20 बजे वह व उसक बहन दीप्ती खींची उदियापोल से घर गारियावास जा रहे थे कि इन्द्रगढ स्कूल के पास पहुँचे कि तीन लडके बाईक पर पीछे से आए व उसके कंधे मे लटका हैडपर्स को छीन ले गए। उसके हेंड पर्स मे एक फोन, एटीएम कार्ड तथा उसमे करीब 200 रुपये व उसकी आलमारी की चाबी थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी, उदयपुर विकास प्राधिकरण (यूडीए)
क्रमांकः LU2012/UDP/2025-26/103705 दिनांकः 02/06/2025
लोक सूचना
श्री Keerti Nagang पत्री श्री Prakash Dodeja जाति Narang निवासी 1-J-5 Shanti Marg Hiran Magri Secter 4 Udaipur ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का **आवासीय** प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिप्राप्ति अधिकारी के निर्यात के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मी.)	क्षेत्रफल (हेक्टे.)
1.	शोभागपुरा बड़गांव (उदयपुर)	Keerti Nagang W/o Prakash Dodeja	1579/983, 1587/984	165	0.0165
				कुल	0.0165

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-ए और राजस्थान अभिप्राप्ति अधिनियम 1965 की धारा 5 के अधीन सूचीत प्रकाशनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिप्राप्ति अधिकारी के निर्यात पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएमओ आईडी से लॉग इन कर SO-A For Development Authority (UDA) आईडीन पर जाकर समर्थक दस्तावेज अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं (उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर से अधिकृत आज 02.06.2025 को जारी की गयी। **प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर**

ट्रेन से कट युवक की मौत

उदयपुर। शहर के सवीना थाना क्षेत्र में ट्रेन की चपेट में आने से युवक अनिस सिंह (32) पुत्र रामवीर सिंह तौमर निवासी एमपी हाल चित्रकूट नगर सुखेर जो सेक्टर 8 जड़ाव नर्सरी में भंवरलाल मेनारिया के मकान पर काम कर रहा था।

मंगलवार शाम को जड़ाव नर्सरी के पिछे सेक्टर 8 में गुजर रही रेलवे ट्रेक पर शौच करने गया तभी अहमदाबाद से आई रेल से कटने से उसकी मौत हो गई।

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी, उदयपुर विकास प्राधिकरण (यूडीए)
क्रमांकः LU2012/UDP/2025-26/103818 दिनांकः 02/06/2025
लोक सूचना
श्रीमती Neetu Parihar पत्नी श्री Girish Parihar जाति Parihar निवासी D-502 Archie Palace Park Complex New Vidhya Nagar Sector 4 Udaipur ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का **आवासीय** प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिप्राप्ति अधिकारी के निर्यात के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मी.)	क्षेत्रफल (हेक्टे.)
1.	शोभागपुरा बड़गांव (उदयपुर)	Neetu Parihar W/o Girish Parihar	1695/987	200	0.02
				कुल	0.02

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-ए और राजस्थान अभिप्राप्ति अधिनियम, 1965 की धारा 5 के अधीन सूचीत प्रकाशनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिप्राप्ति अधिकारी के निर्यात पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएमओ आईडी से लॉग इन कर SO-A For Development Authority (UDA) आईडीन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं (उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर से अधिकृत आज 02.06.2025 को जारी की गयी। **प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर**

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी, उदयपुर विकास प्राधिकरण (यूडीए)
क्रमांकः LU2012/UDP/2025-26/103806 दिनांकः 02/06/2025
लोक सूचना
श्री Shekhar Kumar पुत्र श्री Vinod Anand Yadav जाति Yadav निवासी 79 C Pratap Nagar Udaipur ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का **आवासीय** प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिप्राप्ति अधिकारी के निर्यात के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मी.)	क्षेत्रफल (हेक्टे.)
1.	शोभागपुरा बड़गांव (उदयपुर)	Shekhar Kumar S/o Vinod Anand Yadav	1760/1639, 1762/1718	520	0.052
				कुल	0.052

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-ए और राजस्थान अभिप्राप्ति अधिनियम, 1965 की धारा 5 के अधीन सूचीत प्रकाशनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिप्राप्ति अधिकारी के निर्यात पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएमओ आईडी से लॉग इन कर SO-A For Development Authority (UDA) आईडीन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं (उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर से अधिकृत आज 02.06.2025 को जारी की गयी। **प्राधिकृत अधिकारी, नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर**

भारतीय विचारों का निचोड़ है एकात्म मानववाद : कटारिया

देश के विकास के लिए अंतिम पंक्ति को समृद्ध बनाना होगा - राठौड़

उदयपुर. नगर संवाददाता | भारतीय विचारों का निचोड़ है एकात्म मानववाद जिसमें मानव शरीर के समान राष्ट्र देवता का शरीर है जो प्रभाव शरीर पर होता है वैसे ही प्रभाव राष्ट्र पर भी होता है। मानव, समाज और राष्ट्र का अंतरसंबंध इस है कि इसका प्रभाव एकदूसरे पर आता है। पंडित जी की विचारधारा और दर्शन ने पूरे देश को वो प्रकाश प्रदान किया कि व्यवहार में आने पर राष्ट्र सेवा को समर्पित चरित्र का निर्माण होता है। ये विचार पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने एकात्म मानव दर्शन के हीरक जयंती समारोह में वर्तमान संदर्भ में एकात्म मानव दर्शन की प्रासंगिकता विषय पर बोलते हुए व्यक्त किये। कटारिया ने बीएन की कर्मभूमि को नमन एवं ठाकुर गुमान सिंह को याद करते हुए कहा कि 1964 में हमें शिविर लगाने के लिए कोई जगह उपलब्ध नहीं कराता था तब गुमान सिंह ने हमारे लिए बीएन संस्थान के द्वार खोल दिए। उस समय चार दिन का शिविर दीनदयाल उपाध्याय ने किया और तीन दिन गुमान सिंह के घर ठहरे।

मुख्य वक्ता डॉ. महेश चंद्र शर्मा ने विषय पर बोलते हुए कहा कि एकात्मक मानव दर्शन सनातन के आधारयुक्त वो विचारधारा है जो एक लंबे कालखंड तक प्रासंगिक रहेगा। समग्रता ही मानवता है। मानव सम्पूर्ण है। व्यष्टि, समिष्टि, सष्टि, परमेष्टि के संबंधों के साथ शर्मा ने पंडित जी भू सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, अर्थयाम, आर्थिक लोकतंत्र को रेखांकित करते हुए एकात्मक मानव वाढ की प्रासंगिकता को स्पष्ट किया। विद्यापीठ के कुलपति कर्नल प्रो एस एस सारंगदेवोत ने कहा कि पंडित दीनदयाल का एकात्म मानव दर्शन संकल्प साधना के साथ राष्ट्रधर्म विचार परंपरा को पुनर्जीवित कर राष्ट्र को पुनरुद्धार का आह्वान है। पंडित जी का दर्शन भारत की आत्मा से जुड़ी विचारधारा से जुड़ने का प्रयास है। जो जीवंत चेतना, कृतित्व बोध, स्व अस्तित्व के साथ चिरनिरन्तर संस्कृति की आधुनिक अभिव्यक्ति है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि देश के सर्वांगीण विकास के लिए अंतिम पंक्ति को समृद्ध बनानी की योजनाएँ बनानी होगी। इस पर वर्तमान केंद्र सरकार काम कर रही है। राठौड़ ने कहा की पंडित जी ने सिखाया की हमे अपने आचरण और व्यवहार से अपने विरोधियों को समर्थक बनाने के प्रयास करने होंगे ताकि स्वस्थ समाज का निर्माण किया जा सके। राष्ट्रसेवा युक्त व्यक्तित्व का निर्माण किया जा सके।

इनका हुआ सम्मान

पंडित दीन दयाल उपाध्याय के साथ सानिध्य प्राप्त करने वाले जगदीश सोनीए रामपाल सिंह दुनीवाल, श्रीराम शर्मा, हरीश शर्मा, प्रो0 लोकेश शेखावत, हेमेन्द्र श्रीमाली, शांतिलाल चपलोत, गोपाल कुमावत, ऋतषभ जैन, हिम्मत दुगड, लक्ष्मणपुी गोस्वामी का उपरणा, श्रीफल एवं स्मृति चिंह देकर सम्मानित किया गया। साथ ही पंडित श्री राम शर्मा द्वारा लिखित पुस्तक एकात्म मानववाद से एकात्म मानववाद की विकास यात्रा का विमोचन किया गया।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय की विचारधारा को साकार कर रहा वर्तमान नेतृत्व : देवनानी

उदयपुर (वि.)। विधानसभाध्यक्ष प्रो. वासुदेव देवनानी ने कहा कि एकात्म मानवदर्शन के प्रतिष्ठापक पं. दीनदयाल उपाध्याय राजनीति में संयम, त्याग और नैतिकता के प्रबल पक्षधर थे और अंत्योदय को स्वतंत्र भारत की आत्मा मानते थे। राजनीति में इन मूल्यों की लगातार ह्रास हुआ है। देश का वर्तमान नेतृत्व इन मूल्यों को पुनः स्थापित करने की दिशा में कार्य कर रहा है। देवनानी बुधवार को प्रसिद्ध चिंतक व विचारक, भारतीय जनसंघ के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से प्रदत्त एकात्म मानवदर्शन के साठ वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित हो रहे दो दिवसीय समारोह के उद्घाटन अवसर एवं प्रथम सत्र को संबोधित कर रहे थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति समारोह समिति जयपुर, भूपाल नोबल्स संस्थान व राजस्थान विद्यापीठ विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में दीनदयाल उपाध्याय एकात्म मानवदर्शन - हीरक जयंती समारोह भूपाल नोबल्स विवि के सभागार में में आयोजित हो रहा है।

देवनानी ने कहा कि पंडितजी के दृष्टिकोण में राष्ट्र भौगोलिक सीमाओं से परे एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक इकाई है। राष्ट्र निर्माण का आधार केवल सीमाएं नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक चेतना, स्वदेशी दृष्टिकोण और अंतिम पंक्ति के व्यक्ति के कल्याण में निहित है। देवनानी ने कहा कि वर्तमान में राजनीति के स्तर में भी गिरावट आई है इसके लिए समाज का बदलता स्वरूप जिम्मेदार है समाज का स्वरूप ही जीवन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर प्रतिबिम्बित होता है।

प्रथम दिन हुआ इन विषयों पर मंथन

पहले दिन राजनीतिज्ञ पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पत्रकार और साहित्यकार के रूप में पंडित जी विषय पर डॉ. एस. एस. उपाध्याय, डॉ. इन्दूशेखर तत्पुरूष, गोपाल शर्मा ने, संस्थान एवं गैर-सरकारी संगठनों में दीनदयाल दर्शन की भूमिका पर अतुल जैन , प्रो मोहन लाल छीपा, दीनदयाल उपाध्याय शोधपीठ के निदेशक प्रो. के. के. सिंह प्रो. महेन्द्र सिंह आगरिया, प्रबंध निदेशक मोहब्बत सिंह रूपाखेड़ी ने विचार व्यक्त किए।

संवेदना व्यक्त की

राजस्थान विधान सभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बुधवार को उदयपुर में उद्योगपति अरविन्द सिंघल की माता के निधन पर गहरा दुःख व्यक्त किया। देवनानी ने उदयपुर में श्री सिंघल के निवास स्थल पर पहुंचकर उनकी माता के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। देवनानी ने दिवगत आत्मा की शांति और शोक संतप्त परिजनों को इस दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने के लिए परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना की है।

समाज से बहिष्कृत होने से परेशान विवाहिता ने की आत्महत्या

समाज से बाहर होने के कारण नहीं हो पा रही थी बच्चों की सगाई

उदयपुर. नगर संवाददाता | शहर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में एक परिवार का सामाजिक बहिष्कार करने और बच्चों की सगाईयां नहीं होने से मानसिक अवसाद में आकर एक विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका के गांव में एक मंदिर को लेकर समाज के मौतबीरों ने पूरे गांव के ही समाज के लोगो को ही समाज से बाहर कर दिया था, जिससे बच्चों की सगाईयां करने में परेशानी आ रही थी।

पुलिस के अनुसार श्यामू बाई (40) पत्नी निर्भय राम उर्फ निर्भयलाल भोई निवासी टीला खेड़ा का खेड़ा भोईयों की पंचोली प्रतापनगर ने मंगलवार रात्रि को स्टॉल से फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका के पति निर्भय राम भाई ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि वर्षों पूर्व समाज से धनराज, मुकेश राज, मदन, अंबालाल, भगवान, जगदीश, गोवर्धन, पुष्कर, अमरचंद, डालचंद, मुरलीधर व अन्य समाज के पंचों ने गांव के कई घरों को समाज से बाहर कर दिया था, जिसका पूर्व में भी दर्ज कराया था। जिस पर इन्हे पूर्व में गिरफ्तार भी किया था। जो जमानत पर बाहर आने पर परेशान कर रहे थे। पंचों द्वारा परिवार को सामाजिक बहिष्कार कर देने से समाज से बच्चों के रिश्ते नहीं आ रहे थे जिससे उनकी शादियां नहीं हो रही थी। इसके चलते पत्नी श्यामू अवसाद में चल रही थी। मंगलवार रात्रि को खाना खाकर 11 बजे सभी सो गए थे। सुबह जब उठे तो देखा की पत्नी कमरे में स्टॉल से फांसी के फंदे से लटकी हुई नजर आई। इस पर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की और शव को फंदे से उतार के एमबी चिकित्सालय ले जाया गया जहां पर चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया।

शादी समय पर नहीं होने से परेशान युवक ने लगाई फांसी

मंगेतर पर भी बनाया था आत्महत्या करने का दबाव पर वो घबरा कर चली गई

उदयपुर. नगर संवाददाता | शहर के हिरण मगरी थाना क्षेत्र में युवक ने शादी समय पर नहीं होने से परेशान होकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उसने अपनी मंगेतर को भी साथ में आत्महत्या के लिए दबाव बनाया लेकिन उसने उसकी बात नहीं मानी।

एसआई अजय राज सिंह ने बताया कि बुधवार को उन्हें सूचना मिली कि राजपूताना रिसोर्ट में शांतिलाल माली के खेत के पास नाले के वहां बबूल के पेड़ पर एक युवक प्लास्टिक से फांसी के फंदे पर झूल रहा है। सूचना पर थाना प्रभारी मय टीम के मौके पर पहुंचे और जन सहयोग से युवक का शव नीचे उतारा। मृतक के फोन और दस्तावेज के आधार पर पुलिस को सूचना उसकी मंगेतर ने दी। मंगेतर ने इसकी पहचान प्रवीण कुमार (19) पुत्र दलपत कुमार ताबियार निवासी डूंगर सारण सीमलवाड़ा कुआं के रूप में की, जिससे उसकी सगाई हो रखी है। लड़के परिवारजन शीघ्र शादी करने के लिए दबाव बना रहे थे, लेकिन लड़की अभी एमए की पढ़ाई कर रही थी इसलिए शादी नहीं करना चाहती थी। प्रवीण उसके साथ ही शादी करना चाहता था लेकिन उसकी मां सगाई तुड़वाने पर आतुर थी। प्रवीण उदयपुर आया और उसने उस पर भी साथ में आत्महत्या करने का दबाव बनाया लेकिन वह घबराकर दूर चली गई। उसने प्रवीण को रोकने का बहुत प्रयास किया लेकिन वह नहीं माना और फंदे से लटक गया। थाना इंचार्ज अजय सिंह ने बताया कि युवक की मंगेतर कानपुर कल्याणपुर की रहने वाली है। फिलहाल मृतक के परिजनों को फोन से सूचना दे दी है। गुरुवार को उदयपुर आने पर शव के पोस्टमार्टम की कार्यवाही करवाई जाएगी।

आवश्यकता है
उदयपुर स्थित चेरिटेबल ट्रस्ट द्वारा संचालित विभिन्न सेवाभावी उपक्रमों हेतु –
- CEO मुख्य प्रशासक, ग्रैजुएट, 10 वर्ष या अधिक का अनुभव।
- बुजुर्ग महिलाओं और पुरुषों के आवास गृह में देखरेख हेतु केयरटेकर। मेट्रिक, 5 वर्ष या अधिक का अनुभव।
- वृद्धाश्रम, धर्मशाला में कैंटीन संचालन, स्वयं कारीगर होना आवश्यक।
- मैनेजर, ग्रैजुएट एवं 7 वर्ष या अधिक का अनुभव।

बायोडाटा, अनुभव, पढ़ाई के दस्तावेज एवं अपेक्षित तनख्वाह सहित विवरण व्हाट्सएप करें – 9024747478
(कृपया कॉल नहीं करें)

हेतुक दर्शित के लिए सूचना
(साधारण प्रारूप)
शीर्षक
न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर
अपील डिबी / टीएए0 / 9038 / 2016 / जिला उदयपुर
दामोदर श्रीमाल बनाम सीमा साहू
प्रेषिती –
प्रवीण आचार्य पुत्र नाथुलाल आचार्य, निवासी पोस्ट ऑफिस के पास, प्रतापपुरा, उदयपुर।
उक्त प्रार्थी ने इस न्यायालय में यह आवेदन किया है कि... अतः आपको चेतावनी दी जाती है कि आप आवेदन के विरूद्ध हेतुक दर्शित करने के लिए ता. 19 माह 6 सन 25 पूर्वान्ह में स्वयं या अपने प्लीडर द्वारा जिसे सम्यक रूप से अनुदेश दिया गया हो, उपसंजात हो। यदि आप ऐसा करने में असफल रहेगें, तो उक्त आवेदन की सुनवाई और उसका निपटारा एक पक्षीय रूप से किया जायेगा।
यह आज ता. 26 माह 5 सन 25 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।
(मोहर) निबंधक–राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार

उदयपुर. नगर संवाददाता | सलूम्बर जिले के सराड़ा थाना क्षेत्र में किराणे का सामान लेने गई किशोरी के गले पर चाकू रखकर उसके हाथ तार से बांधकर जबरन दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।

थानाधिकारी हेमन्त अहारी ने बताया कि पीड़िता के भाई ने 23 अप्रेल को रिपोर्ट पेश की जिसमें बताया कि 20 अप्रेल को उसकी नाबालिग बहन दिन में किराणे की दुकान पर घरेलु सामान लेने के लिए निकली थी, उसे जबरन अकेली देखकर दुकानदार पाल सराड़ा लोधरी निवासी हिमांशु पुत्र कन्हैयालाल मीणा घर के अंदर ले गया और कमरे में उसके दोनों हाथ तार से बांध दिये और चाकू दिखाकर दुष्कर्म किया। विरोध करने पर आरोपी ने पीड़िता के गले पर चाकू रगड़ा। अभियुक्त का पिता आया और उसे छुड़वाया। उसने पूरी घटना की जानकारी दी। पीड़िता के गले में चाकू से चोट के निशान भी आए।

इस मामले में थानाधिकारी के नेतृत्व में जांच-पड़ताल कर आरोपी को गिरफ्तार किया और उसकी निशानदेही से घटनास्थल की तस्दीक की। घटना में प्रयोग में ली कुंदाली जब्त की गई। जांच पूर्ण कर कोर्ट में पेश किया जहां उसे जेल भेज दिया।

बड़े भाई ने पाईप से हमला कर की छोटे भाई की हत्या

उदयपुर. नगर संवाददाता | जिले के कुराबड़ थाना क्षेत्र में शराब के नशे में बड़े भाई ने छोटे भाई के सिर पर लोहे के पाईप से ताबड़तोड़ हमला कर हत्या कर दी।

पुलिस के अनुसार देवीलाल पुत्र नाथू मीणा निवासी फूटा पाणा जगत कुराबड और इसका छोटा भाई सूरज दोनो ही सुबह उदयपुर मजदूरी पर गए। शाम को 6 बजे दोनो भाई घर पर आए। घर के आगे आगंन में इन दोनों का बडा भाई हमेरा मीणा व माता संजू बाई व सूरज कि पत्नी काली बाई बैठे हुए थें। बड़ा भाई हमेरा मीणा शराब के नशे में था, जो इन दोनों छोटे भाईयों को देखते ही दोनों को जान से मारने की धमकी देते हुए ईट व पत्थर मारे, जो देवीलाल के सिर में लगे तो देवीलाल वहां से भाग गया। इसके बाद हमेरा मीणा ने लोहे के पाईप से सूरज के सिर में मारा, जिससे सूरज के सिर से खून निकलने लगे। सूरज भागा तो हमेरा ने पीछा कर सूरज को पकड लिया तथा पाईप से ताबड तोड सिर में वार किए, जिससे सुरज घायल हो खेत में गिर गया। परिजनो ने बीच-बचाव किया तो हमेरा उसकी पत्नी व बच्चियों को लेकर भाग गया। इसके बाद परिजनों ने सूरज को संभाला तो सूरज के सिर में गंभीर चोट होने से उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया है।

नाबालिग साली का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले जीजा को 20 साल की कड़ी कैद

उदयपुर. नगर संवाददाता | शहर के धानमंडी थाना क्षेत्र में नाबालिग साली का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी जीजा को कोर्ट ने बीस वर्ष के कठोर कारावास एवं 1.10 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। अपनी ही नाबलिग साली का अपहरण कर उसे बंधक बनाकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म करने का आरोप सिद्ध हुआ।

जानकारी के अनुसार गत वर्ष 20 सितम्बर को पीड़िता के पिता ने पुलिस अधीक्षक को रिपोर्ट दी कि 6 सितम्बर को उसका दामाद बाइक पर बैठाकर उसकी नाबालिग पुत्री होटल में ले गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया। उसके बाद 7 सितम्बर को कानपुर मादड़ी स्थित किराये के मकान पर ले जाकर 15 दिनों तक बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। आरोपी शादीशुदा होकर दो बेटियो का बाप है। पुलिस अधीक्षक के आदेश से धानमण्डी थाने में मामला दर्ज किया गया। जांच थानाधिकारी रविन्द्र सिंह ने की। अपहृता किशोरी को दस्तियाब किया। किशोरी ने अपने बयान दर्ज किये। पीड़िता का मेडिकल कराया आरोप प्रमाणित पाये जाने पर आरोपी जीजा को गिरफतार कर पोक्सो-2 कोर्ट 20 दिसम्बर 2024 को चालान पेश किया गया। विशिष्ट लोक अभियोजक महेन्द्र कुमार ओझा ने जीजा पर आरोप सीद्ध करने के लिए 17 गवाह व 53 दस्तावेज पेश किये गये। चिकित्सकीय साक्ष्य, एफएसएल रिर्पोट व गवाहों व साक्ष्यों के आधार पर आरोपी पर अभियोजन पक्ष आरोप सिद्ध करने में सफल रहा। विशिष्ट लोक अभियोजक ने तर्क दिया कि जीजा साली जैसे विश्वसनीय रिश्तो के साथ छल किया है। पीड़िता बालिका ने अभियुक्त को उसका जीजा होने के कारण उस पर विश्वास किया है, लेकिन अभियुक्त ने पीड़िता के विश्वास को चोट पहुंचाई। आरोपी को कठोर सजा सुनाई जाए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पोक्सो-2 के पीठासीन अधिकारी संजय कुमार भटनागर ने अपने फैसले में लिखा की आरोपी ने जीजा साली के रिश्तो को तारतार किया है। पिड़िता की उम्र 18 वर्ष से कम होने की पुष्टी हुई है। ऐसे गंभीर अपराध में अभियुक्त को तथ्यों, परिस्थितियों, साक्ष्यो के आधार पर आरोपित अपराध में दोषी करार देते हुए भारतीय न